न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प, सागर म.प्र.

निगरानी 350-I-15

1. केशरानी पत्नि लक्ष्मन
2. संतोष तनय नत्थू
दोनों निवासी- ग्राम मसानझिरी, तह0 व जिला सागर

... आवेदकगण/ रिवीजनकर्तागण

12 JAN 2015

॥ बनाम ॥

हरिराम तनय मथुराप्रसाद विश्वकर्मा
साकिन ग्राम कनेरादेव, तह0 । जिला सागर म.प्र.

..अनावेदक

रिवीजन/पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

उपरोक्त आवेदकगण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागर द्वारा रा0प्र0क्र0 107/अ/12 वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2014 से परिवेदित होकर निम्न प्रमुख कानूनी तथ्यों के आधार पर रिवीजन प्रस्तुत करते है:-

1- यहकिअधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के विपरीत एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि,आवेदकगण कीभूमि स्थित ग्राम मसानझिरी तहसील व जिला सागर प.ह.नं. 54 भूमि खसरा नंबर 46,रकवा 0.20 हे0 एवं खसरा नंबर 47/1 रकवा 0.40 हे0 भूमि है जिसपर आवेदकगण पूर्व से ही मालिक काबिज चले आ रहे है एवं कृषि कार्य करते है एवं व नियमानुसार भूमि पर काबिज है ।

3- यहकि,अनावेदक ने अपनी भूमि स्थित ग्राम मसानझिरी ख.नं.
... ... 2014 को राजस्व निरीक्षक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—350—एक / 2015 जिला—सागर

केशरानी व अन्य विरूद्ध हरिराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी तहसीलदार सागर , जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 107 / अ—12 / 2013—14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 01—06—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 8/3/19 सदस्य	